ग्राम पंचायत क्योरी, विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176077 के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क)ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत क्योरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री शिव कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री विजय सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री चन्द्रपाल	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत क्योरी के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.003
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.63
3	6.2	अनुदान 14वां वित्तायोग के अन्तर्गत शेष बची राशि को ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि में अनियमित हस्तांतरण करना	2.45
4	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.39
5	8	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि	0.02
6	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.50
7	9.2	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	3.82
8	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	10.16
9	11	स्त्रोत पर जी० एस०टी /टी० डी० एस ०की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	0.09
10	15.3	ऑनलाईन रोकड़ बही में दर्ज राशि की आय प्रविष्टि की बैंक में पुष्टि न होना	0.31

(ध)गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत क्योरी का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिए किया गया था, जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	मुख्यालय से पुष्टि करने उपरांत
2.	4(1) (i,ii)	अनिर्णीत	—
3.	5	अनिर्णीत	—
4.	6(i,ii ,iii)	अनिर्णीत	—
5.	7	निर्णीत	राशि ₹1795/—की वसूली रसीद संख्या 0093276, दिनांक 18.03.2025 द्वारा करने उपरान्त खाता संख्या 20070004741 में जमा करवा दी गई है।
6	8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
7	9	अनिर्णीत	—
8	10	अनिर्णीत	—
9	11	अनिर्णीत	—
10	12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
11	13	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
12	14	अनिर्णीत	—

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत क्योरी के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.03.2025 से 13.03.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर

किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	03/2023	05/2022
2023–24	01/2024	01/2024

अस्वीकरण(Disclaimer):–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/160 दिनांक–13.03.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक बीड के मल्टीसिटी चैक संख्या 022187 दिनांक 29.03.2025 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/140 दिनांकः–03.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट**–1 में दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1332705.32	1376347.68	2709053.00	1139881.00	1569172.00

2023-24	1569172.00	761984.88	2331156.88	1037982.00	1293174.88

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4—5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1630915.24	3522783.76	5153699.00	2773751.00	2379948.00
2023-24	2379948.00	2635359.00	5015307.00	3652262.00	1363045.00

कुल योग (1+2)1293174.88+1363045.00=**2656219.88**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹26,56,219.88/- तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** अनुसार अन्तशेष ₹26,56,570.88/—से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित/एस.डी.आर.एफ/ईको विलेज/एस.डी.पी/पी.एस/एस.डी.आर.एफ/एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बीड	20070004741	1355576.88
2	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक बीड	50058159733	51328
3	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक बीड	50058159722	1636
4	टी.एस.सी/एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बीड	50051604591	0
5	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक बीड	50065394292	0
6	15वाँ वित्त/पी.एस/ जेड.पी	एच•पी•जी•बैंक बीड	87900100056780	1247630
7	हस्तगत शेष (स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			400
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—				**₹2656570.88**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :—				

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—	₹26,56,219.88
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः—	₹26,56,570.88
अन्तर:— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।	

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹351/— का अन्तर पाया जाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत क्योरी द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹351/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा—4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/142 दिनांकः—04.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—GPK/01/2025 दिनांकः—13.03.2025 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज बैंक खाते न खोलने बारेः—

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच—एच.ए (5) सी (15) —(13) (एल) 5—47005—81 दिनांक—15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत क्योरी द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वःस्त्रोत, व तीसरा वित, ईको विलेज, एस.डी.पी,एस.डी.आर.एफ,पी.एस व एस.बी.एम आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमो एवं निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20070004741 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति न दर्शाने एवं नियमों/निर्देशों के विपरीत होने के कारण

आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/146 दिनांकः–05.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा अवगत करवाया कि शीर्ष वाईज खातो का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः उक्त स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही बैंक खातो का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाता बही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहींः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल सं0, मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	ईको विलेज	पी/15/17 /11.01. 2024	769/16.02.2023	निर्माण ईंटरलॉक टाईल रोड मेन रोड से रणविजय के घर की ओर वार्ड.–3	26580
2	एस.बी. एम	पी/16,17 /18,19/1 1.01.2024	771,772/17.02. 2023	निर्माण भवन व शैड प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन यूनिट वार्ड 7	81420
3	एस.डी.पी	पी/03/20	802/08.08.2023	नि0सुरक्षा दीवार नजदीक	27921

		/24.01. 2024		प्रीतम चन्द सुपुत्र दुवाना राम घर नाला वार्ड 3	
4	15वां वित	पी/28,29 /20.01. 2024	005,808/20.06. 2023,07.05.2023	निर्माण एस.एल.डब्ल्यू.एम वार्ड 1 से 7	36416

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/158 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत इस अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणवधि के दौरान ₹15,04,182 से ₹13,55,576.88 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/158 दिनांकः13.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया,

जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– GPK/01/2025 दिनांक 13.03.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹13.63/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/140 दिनांकः–03.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹13,63,045/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	48108
2	एस.डी.पी	31.03.2024	65796
3	एम.पी.लेड	31.03.2024	1511
4	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1247630
		कुल जोड	**1363045**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/143 दिनांक–04.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष/अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान 14वां वितायोग के अंतर्गत शेष बची राशि ₹2.45 लाख को ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि में अनियमित हस्तांतरण करने बारे :–

विशेष सचिव **(RD&PR)** हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.I/518921/2024 PCH-HC(1) e-PRI दिनांक 21.11.2024 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार 14वें वित के अंतर्गत ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर व्यय करने की समयबद्धता को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार 14वां वितयोग से राशि ₹2,44,848/– का हस्तांतरण सभा निधि में किया गया था, जोकि उक्त नियम/निर्देशों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त उक्त हस्तांतरित राशि से सम्बन्धित फण्ड हस्तांतरण आदेश या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से सम्बन्धित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है:–

क्र0सं0	अनुदान	दिनांक	बैंक	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	14वां वित	31.03.2023	का•के•सह•बैंक बीड	50065394292	244848.00

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/158 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त हस्तांतरण आदेशों बारे विभाग के उच्चाधिकारियो से चर्चा करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अत उक्त किये गए अनियमित हस्तांतरण बारे सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखो सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फण्ड हस्तांतरण आदेशो उपरान्त ही हस्तांतरण करना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.40 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/140 दिनांकः–03.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹39550**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग तथा दिनांक 01.04.2022 को दर्शाए गए अथशेष की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/144 दिनांकः–05.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से सम्बन्धित मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 सम्पत्ति कर/गृहकर से प्राप्त आय राशि ₹0.02 लाख को बैंक में जमा करवाये बिना व्यय के फलस्वरूप अस्थाई दुर्विनियोजन करने बारे:–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

स्वःस्त्रोत सम्पतिकर/गृहकर की रसीद बुकों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹1750/- ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में जमा नहीं करवाई गई, फलस्वरूप पंचायत की स्वः स्त्रोत की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता व यह एक वितीय अनियमितता है:–

क्र0सं0	रसीद संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त राशि (₹)	बैंक में जमा राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
1	0596518	निल	300	19100	300
2	0596519 से 0596600	निल	8000		
3.	0596601 से 0596700	निल	10000		
4.	048 से 052	निल	1000		
5.	596701	निल	100		
6.	0093001 से 0093100	51	10000	31400	1450
7	0093101 से 0093200	51	10000		
8	0596806 से 0596895	51	8550		
9	056900	51	50		
10	0093201 से 0093243	51	4250		
कुल			**52250**	**50500**	**1750**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/152 दिनांक:–10.03.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसकी अनुपालना में इस राशि की रसीद संख्या 0093277 के माध्यम से सभा निधि खाता सख्या 20070004741 में दिनांक 18.03.2025 को जमा करवा दिया गया जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस गलती की पुनरावृति न हो एवं कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत निधि में अनियमित जमा करने बारे:—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक:–04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/140 दिनांक:–03.03.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत क्योरी द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान राशि ₹1800 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था,जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपतिजनक है।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/145 दिनांक:–05.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत क्योरी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– GPK/01/2025 दिनांक:–13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.50/– लाख के स्टॉक का क्रय करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदायें आंमत्रित करना, मांग, अनुबन्ध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत क्योरी के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट ''6''** के अनुसार ₹49856/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/154 दिनांकः–11.03.2025 द्वारा उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹3.82/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट ''7''** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹382497/– का

अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम ,प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/155 दिनांक:–12.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–GPK/01/2025 दिनांक:–13.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 विभिन्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹10.16/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 01/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹10,15,770/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका, फलस्वरूप कृत व्यय को सन्देहास्पद बनाता है:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.मनरेगा	निल/30.05.2022	608,620,1204 1/01,03,28.	निर्माण चेक डैम नजदीक पूर्ण चन्द सुपुत्र	56149	प्राक्कलन ,माप–पुस्तिका,

		12.2021	कालीदास जमीन नाला वार्ड–6		
2.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	12015,616,62 0 / 11.08. 21,03.12.21	निर्माण चेक डैम नजदीक घर अशोक कुमार नाला	56149	माप–पुस्तिका, 34–सी
3.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	12015,618,62 0 / 11.08. 21,03.12.21	निर्माण चेक डैम हंस राज सुपुत्र लक्षमन जमीन नाला वार्ड–5	43523	माप–पुस्तिका, 34–सी
4.मनरेगा	शून्य / 21, 30.05. 2022	23231,5084 / 25.03. 22,09.03.22	निर्माण चेक डैम नजदीक अभिषेक ठाकुर जमीन नाला वार्ड–2	24604	माप–पुस्तिका, 34–सी
5.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	619 / 03.12. 2021	निर्माण पोलटरी शेल्टर पवन कुमार सुपुत्र अर्जुन कुमार	15215	माप–पुस्तिका, 34–सी
6.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	498 / 20.10. 2021	निर्माण कुल्ह / डंगा पुनू राम सुपुत्र सुवांरू राम लम्बाहार वार्ड 1	1400	माप–पुस्तिका, 34–सी
7.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	498 / 20.10. 2021	नि0 रोड पवनेश सुपुत्र शेर सिंह की जमीन से बीड लिंक की ओर वार्ड. 3	1400	माप–पुस्तिका, 34–सी
8.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	620,610,1201 5 / 03.12. 21,08.11.21	निर्माण रास्ता चतर सिंह के घर से कौशल्या के घर की ओर वार्ड 1	97362	प्राक्कलन, माप–पुस्तिका, 34–सी
9.मनरेगा	शून्य / 21. 05.2022	23231 / 25. 03.2022	निर्माण रास्ता गणेश के घर से लुहारू राम के घर की ओर वार्ड 5	60689	प्राक्कलन, माप–पुस्तिका, 34–सी
10.मनरेगा	निल / 30. 05.2022	609,12015,62 1 / 03.12. 21,11.08.21,	निर्माण जीपेवल रोड प्रकाश चन्द के घर से संजय कुमार के घर तक वार्ड 4	60122	माप–पुस्तिका, 34–सी

11.मनरेगा	शून्य / 30. 05.2022	5084 / 09.03. 2022	निर्माण जीपेवल रोड होशियार सिंह के घर से सुभद्रा देवी के घर की ओर वार्ड 6	62330	माप–पुस्तिका,34–सी
12.ईको विलेज	पी / 15 / 17 / 11. 01.2024	769 / 16.02. 2023	निर्माण ईंटरलॉक टाईल रोड मेन रोड से रणविजय के घर की ओर वार्ड.–3	26580	माप–पुस्तिका, 34–सी
13.एस.बी. एम	पी / 16,17 / 18,19 / 11.01. 2024	771,772 / 17. 02.2023	निर्माण भवन व शैड प्लास्टिक वेस्ट प्रबधन यूनिट वार्ड 7	81420	माप–पुस्तिका, 34–सी
14.एस.डी. पी	पी / 03 / 20 / 24. 01.2024	802 / 08.08. 2023	नि0सुरक्षा दीवार नजदीक प्रीतम चन्द सुपुत्र दुवाना राम घर नाला वार्ड 3	27921	माप–पुस्तिका,34–सी
15.15वां वित	पी / 28,29 / 20.01. 2024	005,808 / 20. 06.2023,07. 05.2023	निर्माण एस.एल.डब्ल्यू.एम वार्ड 1 से 7	36416	माप–पुस्तिका,34–सी
16.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–4957	डिसिलटिंग चेक डैम पंचायत घर नजदीक खडड वार्ड 2	9120	माप–पुस्तिका, 34–सी
17.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–5132 ,4422	नि0सुरक्षा दीवार नजदीक सुंका राम सुपुत्र बुधु राम घर वार्ड 7	25920	माप–पुस्तिका, 34–सी
18.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–5131	नि0 सुरक्षा दीवार भूमि सिंह सुपुत्र पोढु राम जमीन वार्ड 3	21600	माप–पुस्तिका, 34–सी
19.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–4421	नि0 सुरक्षा दीवार पदीनु राम जमीन वार्ड 7	21360	माप–पुस्तिका, 34–सी
20.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–5129 ,4420	नि0 शेड नजदीक गुडी देवी घर जमीन वार्ड 7	39120	माप–पुस्तिका, 34–सी

21.मनरेगा	शून्य / 03. 01.2024	मस्ट्रोल–4284	नि0 सुरक्षा दीवार राज कुमार सुपुत्र चुनी लाल जमीन वार्ड 4	18480	प्रस्ताव,माप–पुस्तिका, 34–सी
22.मनरेगा	शून्य / 23, 03.01. 2024	मस्ट्रोल–5128 ,4624	नि0 सुरक्षा दीवार नजदीक चिन्तामणि घर वार्ड 7	36000	माप–पुस्तिका, 34–सी
23.मनरेगा	शून्य / 03. 01.2024	मस्ट्रोल–4283	नि0 सुरक्षा दीवार देवेन्द्र कुमार की जमीन वार्ड	21600	माप–पुस्तिका, 34–सी
24.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–5127	नि0 सुरक्षा दीवार लुहारू राम सुपुत्र जहीर राम वार्ड 5	9120	माप–पुस्तिका, 34–सी
25.मनरेगा	शून्य / 03. 01.2024	मस्ट्रोल–4623	नि0 सुरक्षा दीवार अशोक कुमार जमीन वार्ड 7	17760	माप–पुस्तिका, 34–सी
26.मनरेगा	शून्य / 23, 03.01. 2024	मस्ट्रोल–5126 ,4301	नि0 सुरक्षा दीवार हरदेव की जमीन में वार्ड 3	42960	माप–पुस्तिका, 34–सी
27.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–5125	नि0 सुरक्षा दीवार कालू राम सुपुत्र तरमोडू राम जमीन वार्ड 3	18000	प्रस्ताव,माप–पुस्तिका, 34–सी
28.मनरेगा	शून्य / 03, 23.01. 2024	मस्ट्रोल–4957	डिसिलटिंग कुल्ह शिव क्योरी खडड सुरजीत के घर की ओर वार्ड 2	51470	माप–पुस्तिका, 34–सी
29.मनरेगा	शून्य / 23. 01.2024	मस्ट्रोल–4278	डिसिलटिंग कुल्ह सुरवीर के घर से गणेश राम की जमीन की ओर वार्ड	23980	माप–पुस्तिका, 34–सी
30.मनरेगा	शून्य / 03. 01.2024	मस्ट्रोल–4280	निर्माण खेल मैदान नजदीक देव जमदागिनी ऋषि मंदिर वार्ड 5	8000	माप–पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**1015770**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत क्योरी से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 156 दिनांकः–12.03.

2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—GPK/01/2025 दिनांक 13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप—पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 स्त्रोत पर जी० एस०टी /टी० डी० एस० की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.09/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानिः-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056,दिनाक 29-09-18 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग /स्थानीय निकाय/सरकारी एजेंसी/बोर्ड और अन्य निकाय द्वारा सविदाकर/फर्म/आपूर्तिकर्ता को दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवायों और दोनों की आपूर्ति हेतु सिंगल अनुबंध के तहत व अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिये ₹ 2.5 लाख से अधिक की अदायगियों से @2%(1%SGST+1%CGST) की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने का प्रावधान है।

नमूना अंकेक्षण व ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना(संलग्न **"परिशिष्ट -8 ")**अनुसार नरेगा शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्यो के लिये निम्नविवरणानुसार राशि ₹461691/- की निर्माण सामग्री की प्राप्ति की गई थी, किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ता से स्त्रोत पर कर राशि **₹9234/-** की कटौती (जी.एस.टी./टी.डी.एस) नहीं की गई थी:-

क्रम सं०	**वा०/दिनांक**	**कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम**	**परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)**	**स्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)**
1.	परिशिष्ट अनुसार (क्रम स०1 से 22)	मै०सुरेश कुमार चौगान बीड	461691	9233.82 or say 9234

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/157 दिनांकः–12.03.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत क्योरी को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भुगतान की गई राशि पर टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "10" व **परिशिष्ट " 7" व "8"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों, मनरेगा के अतिरिक्त, को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी

व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.चयनित मास के बिलों को निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित न करके, उनके स्थान पर केवल पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। उक्त नियमों के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2020/158 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत क्योरी को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रापत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/140 दिनांकः 03.03.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेखः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम

1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	—	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
13	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेखः–

क्र0सं0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/140 दिनांकः–03.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPK/01/2025 दिनांकः–13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

15.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022—23 व 2023—24 में चयनित मासों 05/2022 व 01/2024 के मनरेगा व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.3 ऑनलाईन रोकड़ बही में दर्ज राशि ₹0.31/—लाख की आय प्रविष्टि की बैंक में पुष्टि न होने बारे :—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातों में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकड़ बही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सभा निधि की ऑनलाईन रोकडबही के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹31129.68 की प्रविष्टियां आय के रूप में की गई दर्शाई गई थी। इस प्रविष्टि के सम्बन्ध में पड़ताल हेतु समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए तथा इसकी बैंक में भी पुष्टि नहीं हो पाई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व आपतिजनक भी है:—

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
1	सभा निधि	आर/32/28.02.2023	आय	Interest credit for adjust balance	शून्य	31129.68

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/158 दिनांकः—13.03.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत क्योरी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPK/01/2025 दिनांकः—13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की सभा निधि की संयुक्त रोकड़ बही में समायोजित प्रविष्टि की गई थी, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

3346—3350

0 6 JUN 2025 का०/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)184/2018—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत क्योरी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 6 JUN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या -4.1(क)")

FINANCIAL POSITION OF GP KEORI BLOCK BAIJNATH KANGRA(H.P)-176077 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES & GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1332705.32	1376347.68	2709053.00	1139881.00	1569172.00
2023-24	1569172.00	761984.88	2331156.88	1037982.00	1293174.88

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1630915.24	3522783.76	5153699.00	2773751.00	2379948.00
2023-24	2379948.00	2635359.00	5015307.00	3652262.00	1363045.00

प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत क्योरी
वि.ख. बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

26

28

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या - 6.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KEORI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	12212.00	120379.00	132591.00	84483.00	48108.00
		2023-24	48108.00	0.00	48108.00	0.00	48108.00
2	SDP	2022-23	49960.00	392000.00	441960.00	377713.00	64247.00
		2023-24	64247.00	60000.00	124247.00	58451.00	65796.00
3	TSC/SBM	2022-23	195649.00	106359.00	302008.00	302008.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MPLAD	2022-23	1500.00	11.00	1511.00	0.00	1511.00
		2023-24	1511.00	0.00	1511.00	0.00	1511.00
5	14TH FC	2022-23	43144.24	25666.76	68811.00	68811.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1328450.00	1503863.00	2832313.00	566231.00	2266082.00
		2023-24	2266082.00	296188.00	2562270.00	1314640.00	1247630.00
7	MGNREGA	2022-23	0.00	1374505.00	1374505.00	1374505.00	0.00
		2023-24	0.00	2279171.00	2279171.00	2279171.00	0.00

प्रधान
ग्राम पंचायत क्योरी
वि.ख. बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

27

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या – 4.1 (ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत क्योरी विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176077

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत क्योरी के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क्र.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	**बैंक शेष 01.04.22 को**	**बैंक शेष 31.03.24 को**
1	स्वःस्त्रोत / तीसरां वित / एस.डी.आर.एफ / ईको विलेज / एस.डी.पी / पी. एस / एस.डी.आर.एफ / एस. बी.एम	का•के•सह•बैंक बीड़	20070004741	1504182	1355576.88
2	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक बीड़	50058159733	12394	51328
3	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक बीड़	50058159722	1544	1636
4	टी.एस.सी / एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बीड़	50051604591	102590	0
5	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक बीड़	50065394292	304211.69	0
6	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	एच•पी•जी•बैंक बीड़	87900100056780	1328450	1247630
7	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			400	400
			कुल योग	**3253771.69**	**2656570.88**

प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत क्योरी
वि.ख. बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट -04 (पैरा संख्या – "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत क्योरी विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा हि.प्र.176077

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत क्योरी में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 व 2023-24 में 365 परिवारों में सभी परिवारों से 100 रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	23950	365	100	36500	60450	24800	35650
2023-24	35650	365	100	36500	72150	32600	39550

सचिव
ग्राम पंचायत, क्योरी
वि.ख. बैजनाथ जिला कांगड़ा (हि.प्र.

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या – "8")

कार्यालय ग्राम पंचायत क्योरी विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176077

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	1000
2	2023–24	800
कुल		1800

प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत क्योरी
वि.ख. बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट -6 (पैरा संख्या -"9.1")

ग्राम पंचायत क्योरी विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.Eco Village	P/15/17/11.01.2024	Shuttering (sqft)	769/16.02.2023	M/s Suresh Kumar Chougan Bir	125	20	2500	शटरिंग की दो निविदाये प्रस्तुत व सामग्री भाडा की कोई निविदा प्रस्तुत नहीं की गई
		Material Carriage			5400	1	5400	
2.SBM	P/17/19/11.01.2024	Shuttering (sqft)	772/17.02.2023	M/s Suresh Kumar Chougan Bir	250	20	5000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
		Bricks			3240	8.5	27540	
3.15TH FC	P/28/20.01.2024	Jala Labour etc	005/20.06.2023	M/s Naveen welding work Chauntra Joignder			9416	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
							49856.00	

सचिव
ग्राम पंचायत, क्योरी
वि.खं. बैजनाथ जिला कांगडा (हि.प्र.

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "9.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत क्योरी विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कॉंगड़ा हि0प्र0 –176077 द्वारा द्वारा क्रय खनन निर्माण सामग्री

क्र0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	612/03.12.2021	Sand	731	52.00	38012.00
2	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	613/03.12.2021	Crusher	1385	48.00	66480.00
3	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	609/03.12.2021	Sand	300	52.00	15600.00
4	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	617/03.12.2021	Sand	293	52.00	15236.00
					Agg. Crasher	48	48.00	2304.00
					Boulder	100	35.00	3500.00
5	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	608/01.12.2021	Sand	290	52.00	15080.00
					Crasher	45	48.00	2160.00
					Boulder	150	35.00	5250.00
6	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	616/03.12.2021	Sand	290	52.00	15080.00
					Crasher	45	48.00	2160.00
					Boulder	150	35.00	5250.00
7	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	614/03.12.2021	Sand	285	52.00	14820.00
					Agg. Crasher	65	48.00	3120.00
8	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	615/03.12.2021	Sand	315	52.00	16380.00
					Crasher	58	48.00	2784.00
					Boulder	70	35.00	2450.00
9	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	618/03.12.2021	Sand	307	52.00	15964.00
					Boulder	70	35.00	2450.00
					crasher	92	48.00	4416.00
10	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	610/03.12.2021	Sand	450	52.00	23400.00
					Crasher	315	48.00	15120.00
11	Eco.Village	P/15/17/11.01.2024	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	769/16.02.2023	Sand	216	52.00	11232.00
					Crasher	152	49.00	7448.00
12	SBM	P/16/18/11.01.2024	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	771/17.02.2023	Sand	450	52.00	23400.00
					Crasher	520	49.00	25480.00
13	SDP	P/03/20/24.01.2024	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	802/08.08.2023	Sand	219	59.00	12921.00
					Crasher	300	50.00	15000.00
							कुल योग	**382497.00**

नोटः–उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई।

ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत ... विकास खंड ...

Technical Assistant Gram Panchyat Keori, Block Baijnath (Kangra)

प्रधान ग्राम पंचायत क्योरी विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव

परिशिष्ट – 8 (पैरा संख्या – "11")

कार्यालय ग्राम पंचायत क्योरी विकास खण्ड बैजनाथ ,जिला कांगडा हि0प्र0 –176077 द्वारा जी.एस.टी/टी.डी.एस.की कटौती न करने से सरकारी कोष को राजस्व हानि

क्र0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन फुट	दर	राशि
1	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	612/03.12.2021	Shuttering(sqft)	60	50.00	3000.00
					Sand	731	52.00	38012.00
2	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	613/03.12.2021	Crusher	1385	48.00	66480.00
3	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	609/03.12.2021	Cut Stone	2000	15.00	30000.00
					Sand	300	52.00	15600.00
4	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	617/03.12.2021	Sand	293	52.00	15236.00
					Agg. Crasher	48	48.00	2304.00
					Stone	1200	15.00	18000.00
					Boulder	100	35.00	3500.00
5	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	608/01.12.2021	Sand	290	52.00	15080.00
					Crasher	45	48.00	2160.00
					Stone	1300	15.00	19500.00
					Boulder	150	35.00	5250.00
6	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	616/03.12.2021	Sand	290	52.00	15080.00
					Crasher	45	48.00	2160.00
					Cut Stone	1300	15.00	19500.00
					Boulder	150	35.00	5250.00
7	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	614/03.12.2021	Sand	285	52.00	14820.00
					Stone	500	15.00	7500.00
					Agg. Crasher	65	48.00	3120.00
8	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	615/03.12.2021	Sand	315	52.00	16380.00
					Crasher	58	48.00	2784.00
					Cut Stone	431	15.00	6465.00
					Boulder	70	35.00	2450.00
9	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	618/03.12.2021	Sand	307	52.00	15964.00
					Boulder	70	35.00	2450.00
					Cut Stone	242	15.00	3630.00
					crasher	92	48.00	4416.00
10	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	610/03.12.2021	Sand	450	52.00	23400.00
					Cut Stone	2000	15.00	30000.00
					Shuttering(sqft)	25	50.00	1250.00
					Crasher	315	48.00	15120.00
11	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	620/03.12.2021	Cement Carriage	147	35.00	5145.00
12	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	498/03.12.2021	Cement Carriage	38	35.00	1330.00
13	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	620/0620/03.12.2021	Cement Carriage	39	35.00	1365.00
14	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	620/000620/03.12.2021	Cement Carriage	39	35.00	1365.00
15	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	620/0000620/03.12.2021	Cement Carriage	38	35.00	1330.00
16	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	620/000000620/03.12.2021	Cement Carriage	45	35.00	1575.00
17	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	620/00000620/03.12.2021	Cement Carriage	47	35.00	1645.00
18	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	619/03.12.2021	Bricks	1790	8.50	15215.00
19	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	498/00498/03.12.2021	Cement Carriage	40	35.00	1400.00
20	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	498/0498/03.12.2021	Cement Carriage	40	35.00	1400.00
21	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	620/0000000620/03.12.2021	Cement Carriage	76	35.00	2660.00
22	NREGA	nil//30.05.2022	SURESH KUMAR CHOUGAN BIR	621/03.12.2021	Cement Carriage	40	35.00	1400.00
						कुल योग		**461691.00**

नोट:– उपरोक्त राशि जी.एस.टी.सहित ली गई है।

प्रधान
ग्राम पंचायत क्योरी
विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड बैजनाथ

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev Block Baijnath (H.P.)

33